

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07-5-18	<p>प्राथमिकी ने मह वाद आज लोक अदालत नाम आपकी द्वारा केम्प फूली लाव में प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र में कभी कभी की दोहराई हुए कथन कि प्राथमिकी का नाम रामचंद्र रिमाई ने कानाराम पिंमुं हाजू अंकित है जबकि अन्य दस्तावेजों में कन्हैयालाल पिंमुं हाजू राम अंकित है तथा कानाराम व कन्हैयालाल उन दोनों नाम वादी के ही हैं।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्ट्रार के अधिकारी तदधीनदार से रिपोर्ट ली। तदधीनदार अधिकारी ने अपने जवाब रिपोर्ट में वाद पत्र में अंकित कथनों पर सुझाव दी तथा रामचंद्र रिमाई ने भी कानाराम पिंमुं हाजू के जवाब कन्हैयालाल पिंमुं हाजू राम अंकित किए गए रिपोर्ट में रिपोर्ट है।</p> <p>उक्त संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत फूली लाव ने भी प्रमाणित कर रिपोर्ट ली है।</p>	

मुख्य अधिकारी

नाम न्यायालय
केस संख्या

कन्हैयालाल बनाम राजू लखकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कि वादी का नाम कानाराम पिं मुं हाजूर के कजाम कन्हैयालाल पिं मुं हाजूराम दुकल्लू किना जाना उचित है वषा मसंग काम में मौजिज व्यक्ति जे के श्री कानाराम व कन्हैयालाल एक ही व्यक्ति वादी के ही नाम है वषा दुकल्लू हेतु सहमत ही है</p> <p>अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम कोलीवाड़ा, तहसील जयपुरा गाँव जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नं. 41, 120, 348, 368, 371, 367, 374, 384, 387, 27, 28 के राजस्व रिकार्ड में अंकित वादी का नाम कानाराम पिं मुं हाजूरस हाजमा को दुकल्लू कर कन्हैयालाल पिं मुं हाजूराम करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। भूमिधारी तहसीलदार निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुकल्लू कर निर्णय खुले मामले आम में सुनाया गया पचावली बाबर के कम हो कर कार्रवाई एफतर ही</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 जयपुरागाँव